Fee Chart of Government & Private Medical/Dental Colleges of M.P. NEET U.G.

College Name	Course	College Type	Tuition Fee	Caution Money	Total Fee (Payable by Candidate who are not eligible for any scholarship	Candidates eligible under "mukhyamantri Medhavi Vidhyarthi Yojna"		Reserve category (SC,ST) Concession under Post Metric Scholarship Scheme Govt. of M.P. SC, ST Welfare Department Letter dt 27.07.2016)	
						Scholarship Amount	Fee to be Paid by Candidate	Scholarship Amount	Fee to be Paid by Candidate
GANDHI MEDICAL COLLEGE BHOPAL	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
GAJRARAJA MEDICAL COLLEGE GWALIOR	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
MAHATMA GANDHI MEMERIAL MEDICAL COLLEGE INDORE	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE MEDICAL COLLEGE JABALPUR	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
SHYAM SHAH MEDICAL COLLEGE REWA	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
BUNDELKHAND MEDICAL COLLEGE SAGAR	MBBS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 50,000	Rs 14,000
GOVT DENTAL COLLEGE INDORE	BDS	GOVT	Rs 50,000	Rs 14,000	Rs 64,000	Rs -	Rs 64,000	Rs 50,000	Rs 14,000
PEOPLES COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE BHOPAL *	MBBS	PRIVATE	Rs 725,000	Rs -	Rs 725,000	Rs 725,000	Rs -	Rs 500,000	Rs 225,000
SRI AURBINDO INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE INDORE	MBBS	PRIVATE	Rs 650,000	Rs 25,000	Rs 675,000	Rs 650,000	Rs 25,000	Rs 500,000	Rs 175,000

R D GARDI MEDICAL COLLEGE UJJAIN	MBBS	PRIVATE	Rs 700,000	Rs 25,000	Rs 725,000	Rs 700,000	Rs 25,000	Rs 500,000	Rs 225,000
INDEX MEDICAL COLLEGE INDORE *	MBBS	PRIVATE	Rs 625,000	Rs -	Rs 625,000	Rs 625,000	Rs -	Rs 500,000	Rs 125,000
L N MEDICAL COLLEGE BHOPAL *	MBBS	PRIVATE	Rs 700,000	Rs -	Rs 700,000	Rs 700,000	Rs -	Rs 500,000	Rs 200,000
AMALTAS MEDICAL COLLEGE DEWAS	MBBS	PRIVATE	Rs 600,000	Rs 25,000	Rs 625,000	Rs 600,000	Rs 25,000	Rs 500,000	Rs 125,000
CHIRAYU MEDICAL COLLEGE BHOPAL	MBBS	PRIVATE	Rs 867,000	Rs 25,000	Rs 892,000	Rs 867,000	Rs 25,000	Rs 500,000	Rs 392,000
INDEX INSTITUTE OF DENTAL SCIENCE INDORE *	BDS	PRIVATE	Rs 231,000	Rs -	Rs 231,000	Rs -	Rs 231,000	Rs 180,000	Rs 51,000
MORDERN DENTAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE INDORE	BDS	PRIVATE	Rs 220,000	Rs 10,000	Rs 230,000	Rs -	Rs 230,000	Rs 180,000	Rs 50,000
R K D F DENTAL COLLEGE AND RESEARCH CENTRE BHOPAL	BDS	PRIVATE	Rs 231,800	Rs -	Rs 231,800	Rs -	Rs 231,800	Rs 180,000	Rs 51,800
PEOPLES COLLEGE OF DENTAL SCIENCE BHOPAL *	BDS	PRIVATE	Rs 255,000	Rs -	Rs 255,000	Rs -	Rs 255,000	Rs 180,000	Rs 75,000
SRI AURBINDO COLLEGE OF DENTISTRY INDORE	BDS	PRIVATE	Rs 210,000	Rs 10,000	Rs 220,000	Rs -	Rs 220,000	Rs 180,000	Rs 40,000
COLLEGE OF DENTAL SCIENCE RAU INDORE	BDS	PRIVATE	Rs 198,000	Rs 10,000	Rs 208,000	Rs -	Rs 208,000	Rs 180,000	Rs 28,000
RISHIRAJ COLLEGE OF DENTAL SCIENCE AND RESEARCH CENTRE BHOPAL	BDS	PRIVATE	Rs 192,000	Rs 10,000	Rs 202,000	Rs -	Rs 202,000	Rs 180,000	Rs 22,000
BHABHA COLLEGE OF DENTAL SCIENCE BHOPAL	BDS	PRIVATE	Rs 220,000	Rs 10,000	Rs 230,000	Rs -	Rs 230,000	Rs 180,000	Rs 50,000
MANSAROVAR DENTAL COLLEGE BHOPAL	BDS	PRIVATE	Rs 198,000	Rs 10,000	Rs 208,000	Rs -	Rs 208,000	Rs 180,000	Rs 28,000
MAHARANA PRATAP DENTAL COLLEGE GWALIOR	BDS	PRIVATE	Rs 180,000	Rs 10,000	Rs 190,000	Rs -	Rs 190,000	Rs 180,000	Rs 10,000

HITKARNI DENTAL COLLEGE AND HOSPITAL JABALPUR	BDS	PRIVATE	Rs 190,000	Rs 10,000	Rs 200,000	Rs -	Rs 200,000	Rs 180,000	Rs 20,000
INSTITUTE OF DENTAL EDUCATION AND ADVANCE STUDIES GWALIOR	BDS	PRIVATE	Rs 200,000	Rs 10,000	Rs 210,000	Rs -	Rs 210,000	Rs 180,000	Rs 30,000
GURU GOVIND SINGH COLLEGE OF DENTAL SCIENCE BURHANPUR	BDS	PRIVATE	Rs 187,000	Rs 10,000	Rs 197,000	Rs -	Rs 197,000	Rs 180,000	Rs 17,000
PEOPLES DENTAL ACADAMY BHOPAL *	BDS	PRIVATE	Rs 255,000	Rs -	Rs 255,000	Rs -	Rs 255,000	Rs 180,000	Rs 75,000

* Fees is subject to change by Madhya Pradesh Private University fee regulatory commission/ Admission and Fee Regulatory Committee (AFRC)

Note: (1) Fee can be submitted online or candidate can deposit the fee by D.D. drawn in favour of Director Medical Education Bhopal payable at SBI Bhopal.

(2) Those candidates of SC/ST category who get admission in Government Autonomous Medical/Dental Colleges will get full exemption from tuition fee irrespective of parent's annual income.

(3) Only those candidates of SC/ST category whose parents annual total income is 3.00 lacs or less, Will also be eligible for Post metric scholarship scheme in Private Colleges.

(4) Eligibility of candidates for "Mukhmantri Medhavi Vidhyarthi Yojana" –

(i) Candidates who secured 75% or above marks in 12th Exam MP Board Examination or 85% or above marks in 12 Exam CBSE/ICSC in Year 2017.

AND

(ii) Annual Income of parents should be less than 6 lacs.

परिशिष्ट—19

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण एवं आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23-27/2014/25-5 भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
भोपाल.
2. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
तकनीकी शिक्षा विभाग,
भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
आयुष विभाग,
भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल.

विषय.—महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शुल्क की प्रतिपूर्ति.

संदर्भ.—समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 20-7-2016.

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञाप द्वारा दिनांक 2-6-16 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में महाविद्यालयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना की नियमावली कंडिका VIII (iii), IX, XI, XII के अंतर्गत शुल्क की प्रतिपूर्ति का कार्यवाही विवरण प्रेषित किया गया है. लिये गये निर्णय अनुसार आपके विभाग से संबंधित शासकीय / अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को पालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी करने का कष्ट करें :—

1. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से शासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी.

2. 2.50 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों से अशासकीय स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पूर्ण अनिवार्य शुल्क प्रवेश के समय विद्यार्थियों से नहीं ली जाएगी. राज्य काउन्सिलिंग से प्रवेश होने पर जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र की प्रति विद्यार्थी से प्राप्त कर संस्था तत्काल संबंधित जिले (जहां संस्था स्थापित है, जिसमें विद्यार्थी का प्रवेश होना है) के जिला अधिकारी को जानकारी देंगे तत्समय ही जिला अधिकारी संस्थान को पात्रतानुसार विद्यार्थी को शुल्क स्वीकृत होने की संलग्न प्रारूप अनुसार वचन-पत्र (Undertaking) संस्था को उपलब्ध कराएंगे.

3. उल्लेखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के एक माह के अन्दर नियमानुसार संबंधित संस्था / नोडल संस्था पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण कर आदिम जाति / अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के जिला अधिकारी के पास ऑनलाईन अग्रेषित करेंगे. मूल आवेदन पत्र सुसंगत अभिलेखों की हार्डकापी के साथ प्रेषित किया जाएगा. विभाग के अधिकारी विधिवत प्राप्त प्रस्तावों को कलेक्टर से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर एक माह के अन्दर राशि विद्यार्थी के बैंक खाते में अंतरित करायेंगे तथा उसकी सूचना संबंधित संस्था को अनिवार्यतः दी जाएगी.

4. प्रत्येक जिले में संचालित शिक्षण संस्थाओं की सूची प्रतिवर्ष अद्यतन की जाएगी जिन अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जावेगा उन संस्थाओं को जिला कलेक्टर कारणों सहित स्पष्ट आदेश पारित कर छात्रवृत्ति के प्रयोजन से संस्था को डीनोटिफाइड (Denotified) करेंगे. Denotification में उल्लेखित अवधि में संबंधित संस्था तथा विद्यार्थी विभाग की योजना से लाभान्वित नहीं हो सकेंगे.

संलग्न.—उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.

हस्ता./-
(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.

वचन-पत्र
(Undertaking)

श्री . . . . पुत्र श्री . . . . जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं एवं इन्हें पोस्ट मैट्रिक की पात्रता आती है, का प्रवेश . . . . पाठ्यक्रम में हुआ है.

उपरोक्त चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क शासन द्वारा विद्यार्थी के खाते में जमा किया जाएगा.

हस्ताक्षर . . . .
नाम . . . .
पद . . . .
प्रभारी अधिकारी

छात्र द्वारा वचन-पत्र
(Undertaking)

मैं . . . . पुत्र श्री . . . . वचन देता हूं कि शासन से मेरे खाते में प्राप्त होने वाला शुल्क मैं चिकित्सा महाविद्यालय / दन्त चिकित्सा महाविद्यालय / इंजीनियरिंग महाविद्यालय को तत्काल भुगतान करूंगा.

विद्यार्थी के हस्ताक्षर . . . .
विद्यार्थी का नाम . . . .
पिता का नाम . . . .
पता . . . .
. . . .
मोबाईल नंबर . . . .

मध्यप्रदेश शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 23–27/2014/25–5 भोपाल दिनांक 12 अगस्त, 2016

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
मध्यप्रदेश

विषय–पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति।

संदर्भः–आदिम जाति एव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र. एफ–12–42/99/02–25 दिनांक 29.7.2003

2. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ–12–15/2013/25/2/1761 दिनांक 02.12.2014

3. आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ–12–15/2013/2572 दिनांक 10.08.2015

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता एवं शुल्क) की प्रतिपूर्ति के संबंध में समय समय पर जारी समस्त आदेश अधिक्रमित करते हुए वर्तमान में प्रचलित केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के नियम निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी समूहों (Group-I,II,III, IV) के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 2.50 लाख तक की आय सीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं में (शासकीय विश्व विद्यालय सहित) निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। समूह एक के पाठ्यक्रमों में छात्रावासी विद्यार्थी को 1200/– के स्थान पर 1500/– रूपये मासिक निर्वाह भत्ता स्वीकृत किया जायेगा।

(संदर्भ–भारत सरकार की नियमावली कंडिका–V(iii)) म.प्र. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का आदेश क्र. एफ 12–60/2007/4/25 दिनांक 26.02.2008)

2. 2.50 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रमों के

समतुल्य शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

(संदर्भ–म.प्र.शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति, कल्याण का पत्र क. एफ 12–64/98/ 25/2, दिनांक 5.6.1999)

3. 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए कोई निर्वाह भत्ता देय नहीं है। शासकीय संस्थाओं/अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर शासकीय संस्थाओं में संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी 1/2 राशि का भुगतान किया जायेगा।

(संदर्भ–म.प्र.शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क. एफ 12–113/2007/ 4/पच्चीस, दिनांक 13 अक्टूबर 2008)

अशासकीय विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित स्वयं के संस्थानों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश होने पर 2.50 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पूर्ण निर्वाह भत्ता एवं शासकीय संस्थाओं द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क सहित Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। 2.50 लाख से 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों के लिए केवल Non refundable अनिवार्य शुल्क का आधी 1/2 राशि का भुगतान किया जायेगा। अशासकीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्र इसमें सम्मलित नहीं होगें।

(संदर्भ:– एफ 12–29/2008/2575 दिनांक 03.08.2013)

4. 8 पाठ्यक्रमों (बीई, बी.फार्मा, एम.फार्मा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बीएड, पोलिटेक्निक) के लिए 3.00 लाख तक की आयसीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए फीस नियामक समिति द्वारा उस पाठ्यक्रम के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था के लिए निर्धारित न्यूनतम Non refundable अनिवार्य शुल्क का भुगतान किया जायेगा। इस श्रेणी में 2.50 लाख तक आयसीमा वाले परिवार के विद्यार्थियों को समूह का निर्धारित निर्वाह भत्ता भुगतान किया जायेगा, परन्तु 2.50 से 3.00 लाख तक की

आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों के लिए कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया जायेगा। उल्लेखित 8 पाठ्यक्रमों के लिए इस राशि का भुगतान केवल केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए मान्य है। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज स्तर की काउन्सिलिंग से प्रवेश लिया है उन्हें इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर शासकीय संस्थाओं के बराबर ही शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(संदर्भ–म.प्र.शासन,अनुसूचित जाति कल्याण का पत्र क.एफ 23–5/2013/25–5, दिनांक 11.9.2013 म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र.एफ–12–15/2013/25–2/ 2041 दिनांक11. 9.2013)

5. राज्य के शासकीय महाविद्यालय/शासकीय स्वशासी महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 29 जुलाई 2003 के आदेशानुसार निर्धारित अनिवार्य शुल्कों की पूर्ण प्रतिपूर्ति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत की जाए। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2016–17 से प्रभावशील होगा। अशासकीय महाविद्यालयों/अशासकीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में यह आदेश लागू नहीं होगा तथा इनमें अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के बेसिक पाठ्यक्रम में ली जा रही शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

6. IIM / IITS/ NIFT में प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित अनिवार्य शुल्क के अलावा मैस व्यय और कम्प्यूटर, लेपटाप व्यय,होस्टल किराया, पुस्तक एवं पाठ्य सामग्री शुल्क, छात्र कल्याण निधि शुल्क, मेडीकलेम फी की राशि भी स्वीकृत की जा सकेगी।

(संदर्भ:–म.प्र.शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का पत्र क्र. एफ–12–41/2007/चार/पच्चीस दिनांक 22.12.2009)

7. अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी भी शासकीय संस्थाओं में संचालित नहीं है, उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को निर्धारित निर्वाह भत्ता एवं संबंधित समूह के बेसिक पाठ्यक्रम में शासकीय संस्थाओं में लिये जा रहे न्यूनतम अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

8. भारत सरकार की पो.मै.छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के विद्यार्थी जो प्रदेश के बाहर यदि केन्द्र सरकार या राज्य शासन की शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत हैं तो

केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति तथा समूह के पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित निर्वाह भत्ता का भुगतान आयसीमा के आधार पर किया जायेगा।

9. प्रदेश के बाहर मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने पर संबंधित पाठ्यक्रमों में निर्धारित निर्वाह भत्ता के अलावा मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय संस्थाओं में ली जा रही अनिवार्य शुल्क के समतुल्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

10 विद्यार्थियों द्वारा प्रचलित पाठ्यक्रम की अवधि के मध्य पाठ्यक्रम/संस्था के परिवर्तन के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

(संदर्भः–म.प्र.शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के परिपत्र क्र.एफ 23–25/2014/2575, दिनांक 28.01.16 एवं म.प्र.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग का पृ.क्र.437/एफ 12–8/2013/25–2 दिनांक 22.3.16)

(i) यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम परिवर्तित कर उच्चतर पाठ्यक्रम में (योजना में निर्धारित समूह के अनुसार) आगामी वर्ष प्रवेश लेता है तो पूर्व वर्ष में स्वीकृत/वितरित छात्रवृत्ति वसूल नहीं की जावेगी, परंतु उसी वर्ष नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो नवीन प्रवेश के दिनांक से बाद की पूर्व पाठ्यक्रम की स्वीकृति राशि, निर्वाह भत्ता एवं शुल्क की राशि जिसका भुगतान संस्था को नहीं किया गया है, चालान से जमा कर प्रवेश ले सकेगा। नवीन प्रवेश के समय चालान दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेगा तथा नये पाठ्यक्रम और संस्था की उसी वर्ष या आगामी वर्ष छात्रवृत्ति का पुनः आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरित की जा सकेगी। अन्य समूहों के पाठयक्रमों/संस्था में परिवर्तन कर प्रवेश लेने पर पूर्व पाठयक्रम की प्राप्त छात्रवृत्ति की राशि चालान से जमा कर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

(ii) यदि विद्यार्थी समूह (I) में आपस में पाठ्यक्रमो/संस्था में परिवर्तन कर आगामी वर्ष में प्रवेश लेता है तो पूर्व वर्ष में स्वीकृत/वितरित छात्रवृत्ति वसूल नहीं की जावेगी, परंतु उसी वर्ष में नये समूह के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो नवीन प्रवेश के दिनांक से बाद की पूर्व पाठ्यक्रम की स्वीकृत राशि, निर्वाह भत्ता एवं शुल्क की राशि जिसका भुगतान संस्था को नहीं किया गया है, चालान से जमा कर प्रवेश ले सकेगा। नये पाठ्यक्रम और संस्था की उसी वर्ष या आगामी वर्ष छात्रवृत्ति का पुनः आवेदन प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत/वितरित की जा सकेगी।

(iii) अनुत्तीर्ण होने पर पाठ्यकम परिवर्तन की सुविधा नहीं रहेगी, अर्थात पूर्व में प्राप्त छात्रवृत्ति कोषालय में जमा करने के उपरांत ही नवीन पाठ्यकम संस्था से आवेदन कर सकेंगे।

(iv) नवीन पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पूर्व में यदि छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है और वितरित नहीं हुई है तो उसकी स्वीकृति तत्काल निरस्त की जायेगी। ऐसी स्वीकृति निरस्त होने पर नए पाठ्यकम/संस्था की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जा सकेगी।

(V) यह सुविधा विद्यार्थी को अध्ययन के दौरान केवल एक बार ही देय होगी दूसरी बार पाठ्यक्रम/संस्था परिवर्तन करने पर पूर्व स्वीकृत छात्रवृत्ति प्राप्त होने पर राशि कोषालय में जमा करने पर प्रवेश मान्य किया जा सकेगा। नवीन आवेदन के साथ चालान की प्रति प्रस्तुत करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सचिन्द्र राव)
अवर सचिव
म0प्र0शासन
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 23–27/2014/25 5 भोपाल, दिनांक 12 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
2 प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/आयुष, भोपाल
3 समस्त कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
4 समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश।
5 समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास,
6. वरिष्ठ सूचना अधिकारी, एन आई सी, विन्ध्याचंल भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित!

अवर सचिव
म0प्र0शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.06.2017

: : आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 06 जून, 2017 को लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। योजना को निम्न स्वरूप में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो।

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अन्तर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त

किया हो, तो विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे, और इस आशय का रूपये 10 लाख का बॉड निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि 25 लाख रूपये रहेगी।

3.3 विधि की पढ़ाई :-CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के प्रमुख संस्थान जैसे योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल (SPA), IIM इंदौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी., बी.ए, बी.कॉम, नर्सिंग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

4. योजना की अन्य शर्तें-

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्यप्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनके परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फण्ड उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अन्तर्गत प्रदाय की गयी राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन-

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जायेगी।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान /विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

12/6

(प्रभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 12.06.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
6. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, भोपाल।
8. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
9. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12/6
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन.
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : afrcmp@gmail.com

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/2511 दिनांक – 25/7/17

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन,
भोपाल।

विषय– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये शैक्षणिक सत्र 2017–18 में निजी एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की एम.बी.बी.एस. /बी.डी.एस. पाठ्यक्रम की न्यूनतम फीस निर्धारण के संबंध में।
संदर्भ– 1. कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा का पत्र क्रमांक 2286/4/प्रवेश/संचिशि/17 दिनांक 24.07.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/1524 दिनांक 11.07.2017.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें।

समिति, सचिवालय द्वारा ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र के माध्यम से सत्र 2017–18 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रम के लिये विनियमित की गई शुल्क की जानकारी संलग्न कर प्रेषित की गई है।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के संस्थावार प्रत्येक पाठ्यक्रम का एक निश्चित वार्षिक/सेमिस्टरवार शिक्षण शुल्क का विनियमन किया जाता है।

चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के सत्र 2017–18 के लिये विनियमित किये गये वार्षिक शिक्षण शुल्क की संस्थावार जानकारी परिशिष्ट 1 एवं 2 पुनः संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/ दिनांक –
प्रतिलिपि–माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

25/7/2017

Annexure-1

Charageable Fee Regulated by AFRC
Course (MBBS)

S.No.	User Name	College Name	Total Fee (Per Year) (Inclusive of Development fee & All other Miscellaneous fee) Session 2017-18
1	Muser572759	R.D.Gardi Medical College, Ujjain	7,00,000.00
2	Muser572857	Sri Aurobindo Institute of Medical Sciences, Indore	6,50,000.00
3	Muser572755	Chirayu Medical College & Hospital, Bhopal	8,67,000.00
4	Muser573921	Amaltas Institute of Medical Sciences, Dewas	6,00,000.00
5	Muser572855	Modern Institute of Medical Sciences, Indore	5,00,000.00
6	Muser573920	Sukh Sagar Medical College & Hospital, Mouja, Chargawan, Jabalpur	5,00,000.00
7	Muser573919	Sakshi Medical College & Research Centre, Guna	5,00,000.00
8	Muser573922	Advance Institute of Medical Science and Research Centre, Bhopal	5,00,000.00

Annexure-2

Charageable Fee Regulated by AFRC
Course (BDS)

S.No.	College Name	Course	Total Fee (Per Year) (Inclusive of Development fee & All other Miscellaneous fee) (Rs.) Session 2017-18
1	Bhabha College of Dental Science, Bhopal	BDS	220000.00
2	College of Dental Science Hospital, Indore	BDS	198000.00
3	Guru Govind Singh College of Dental Science & Research Centre, Burhanpur	BDS	187000.00
4	Hitkarini Dental College & Hospital, Jabalpur	BDS	190000.00
5	Instute of Dental Education & Advance Studies (IDEAS), Gwalior	BDS	200000.00
6	Maharana Pratap College of Dentistry & Research Centre, Gwalior	BDS	180000.00
7	Mansarovar Dental College, Bhopal	BDS	198000.00
8	Modern Dental College & Research Centre, Indore	BDS	220000.00
9	Rishiraj College of Dental Science & Research Centre, Bhopal	BDS	192000.00
10	Sri Aurobindo Institute of Dentistry, Indore	BDS	210000.00